

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

कुमारी अन्जु देवी पुत्री रण सिंह, निवासी गांव व डाकघर लारथ, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . वादिया।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुमारी अन्जु देवी पुत्री रण सिंह, निवासी गांव व डाकघर लारथ, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म पंजीकरण दिनांक
26-01-1973 को गांव लारथ व पंचायत लारथ, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में
हुआ है जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड लारथ में दर्ज न करवा सका, जिसे वह अब ग्राम
पंचायत लारथ के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को
उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-04-2025 को प्रातः
10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने
की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत लारथ के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए
जाएंगे।

आज दिनांक 29-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र विशन सिंह, निवासी गांव व डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला
कांगड़ा, हि0 प्र0 . वादी।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र विशन सिंह, निवासी गांव व डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला
कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके बेटे रोहनप्रीत सिंह का जन्म
पंजीकरण दिनांक 24-03-2009 को गांव रैहन व पंचायत रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0) में हुआ है जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड रैहन में दर्ज न करवा सका, जिसे वह
अब ग्राम पंचायत रैहन के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर :.....

तारीख दायरा : 23-10-2024

श्री प्रकाश चन्द पुत्र चौधरी राम, निवासी भुंग्तयाल व डाकघर टकोली धिर्था, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . वादी।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—इशतहार नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

श्री प्रकाश चन्द पुत्र चौधरी राम, निवासी भुंग्तयाल व डाकघर टकोली धिर्था, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम पंचायत परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्रों में प्रकाश चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम विशम्बर दास सहवन गलती से दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है उसके बारे में रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से ली गई व प्रार्थी की फाइल के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी का दावा सही व दुरुस्त है अतः नाम दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

अतः राजस्व रिकार्ड महाल भुंग्तयान पटवार वृत्त रैहन में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती प्रकाश चन्द के बजाय प्रकाश चन्द उपनाम विशम्बर दास दर्ज किया जाना उचित है तथा उक्त प्रार्थी का नाम सम्बन्धित महाल भुंग्तयाल पटवार वृत्त रैहन के अनुसार प्रकाश चन्द के बजो प्रकाश चन्द उपनाम विशम्बर दास दर्ज किये जाने बारे इशतहार/मुश्ट्री मुनादी की जाती है कि अगर किसी को उक्त व्यक्ति का नाम दुरुस्त करने बारे उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में निर्धारित तिथि दिनांक 03-05-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर एतराज काबिले समायत न होगा और एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित सम्बन्धित महाल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील राजा का तालाब,

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर :.....

तारीख दायरा : 03-04-2025

श्री चरनदास पुत्र चुहड़ राम, निवासी गांव व डाकघर तलाड़ा उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

श्री चरनदास पुत्र चुहड़ राम, निवासी गांव व डाकघर तलाड़ा उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी माता का नाम मृत्यु प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में घोघा देवी दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती गंगा देवी सहवन गलती से दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है, उसके बारे में रिपोर्ट फिल्ड एजैन्सी से ली गई, मुताबिक रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से पाया गया कि प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में श्रीमती गंगा देवी दर्ज है तथा उक्त वर्णित दस्तावेजों में घोघा देवी दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड महाल तलाड़ा पटवार वृत्त तलाड़ा में प्रार्थी की माता के नाम की दुरुस्ती घोघा देवी के बजाये घोघा देवी उपनाम गंगा देवी की जानी उचित है।

अतः अखबार इश्तहार/मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्त करने में किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा, निर्धारित अवधि के बाद उक्त प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 : 23/24

श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र ओंकार चंद, 2. प्रकाश चंद पुत्र ज्ञान चंद, 3. प्रवीण कुमार व 4. कुमारी पुजा, 5. कुमारी पूनम पुत्रियां व 6. श्रीमती रीता देवी विधवा हरी चंद, 7. जगदीश, 8. मुर्तु देव पुत्र मंशा देवी, 9. श्रीमती भोन्दु देवी, 10. श्रीमती ढेंम्फू देवी पुत्रियां दंगेला, 11. जुध्या लाल पुत्र बूटा, 12. पृथ्वी राज पुत्र बूटा, निवासी महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 6, खतौनी नं0 7, खसरा कित्ता 9, रकबा तादादी 00—21—36 है0 वाक्या महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। जमाबन्दी साल 2015—16

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मुश्ट्री मुन्यादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि कि तकसीम करने बारे कोई भी अजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 19—04—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या बकालतन अदालत हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने कि सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 :

श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. किशन चंद पुत्र रिखिया, 2. श्रीमती ज्योति शर्मा पुत्री प्रीतम सिंह, 3. अजय कुमार पुत्र ओंकार चंद निवासी महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 14, खतौनी नं0 22, खसरा कित्ता 15, रकबा तादादी 00—42—23 है0 वाक्या महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। जमाबन्दी साल 2015—16

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुन्यादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि कि तकसीम करने बारे कोई भी अजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने कि सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
